बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,

7, सरदार पटेल मार्ग–पटना–15

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/ 165	Dt ...18.12/2025	Page No..../...

|| कार्यालय आदेश ||

M/s Brijesh Agrawal-PPIL (JV), Nirmala Sadan, Near Gayatri Mandir, Main Road, Vinod Nagar, Bilaspur, Chhatisgarh-495001 निबंधन सं0–पु0नि0नि02 / स्था0 (नि0)–01 (प्रथम)–466 / 2022 दिनांक–01.06.2022 से दिनांक–31.05.2027 को Construction of New 2-Lane Major Bridge with its approaches from design chainage 0+000 to 2+150 across River Sone in the State of Bihar (via Panduka) & Jharkhand under Crif Scheme on EPC Mode का कार्य आवंटित किया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि दिनांक–01.09.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक–31.08.2024 था। माह जून, 2024 में उक्त परियोजना के अधिकाश Pier Shaft में Cracks पाये गये। उस समय से संवेदक द्वारा कार्य बंद कद दिया गया। वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, आरा एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल–1, पटना द्वारा अनेकों बार Pier Shift में पाये गये Cracks का Retrofitting का कार्य एवं Balanced Work का कार्य करने हेतु निदेशित किया गया। परंतु संवेदक द्वारा कार्य में अभिरूचि नही लिया गया। बाध्य होकर उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल–1, पटना द्वारा एकरारनामा के कंडिका 23.1(c),(d),(e)&(g) के तहत Cure Period Notice & Intention to Terminatoin Notice देते हुए संवेदक को उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल–1 का पत्रांक--1105 दिनांक–10.05.2025 द्वारा Terminate कर दिया गया है। उपरोक्त परियोजना का Structural Audit IIT, Patna से कराया गया, जिसके Observatoin से यह स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा कार्य का निरूपण IRC के अद्यतन Code के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है। साथ ही निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं कराया गया है, जिसके कारण pier में cracke आ गया है। संवेदक द्वारा निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्वक नहीं कराया जाना कार्य की प्रति घोर लापरवाही है। Refrofilling कार्य एवं शेष कार्य नहीं किया जाना निदेश का अवहेलना है, जो अनुशासनहीनता का द्योतक है। यह परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित बिहार एवं झारखंड राज्य को जोड़ने वाला समाजिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण योजना है। संवेदक द्वारा बरती गयी लापारवाही के कारण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 2(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 के कंडिका 8, क्र0–1(b) के तहत संवेदक को 15 वर्षो के लिए काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा किया गया है। उक्त अनुशंसा के आलोक में कार्य अंचल–1, पटना द्वारा विधि पदाधिकारी से मंतव्य प्राप्त कर काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा किया गया। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक–2921 दिनांक–09.09.2025 एंव स्मारित पत्रांक–3019 दिनांक–22.09.2025 द्वारा संवेदक से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 2(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 के कंडिका 8, क्र0–1(b) के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गई, परंतु वर्त्तमान समय तक उक्त स्पष्टीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब संवेदक द्वारा नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में M/s Brijesh Agrawal-PPIL (JV), Nirmala Sadan, Near Gayatri Mandir, Main Road, Vinod Nagar, Bilaspur, Chhatisgarh-495001 निबंधन सं0–पु0नि0नि02 / स्था0 (नि0)–01 (प्रथम)–466 / 2022 दिनांक–01.06.2022 से दिनांक–31.05.2027 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 2(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 के कंडिका 8, क्र0–1(b) के तहत 15 वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0 / –

प्रबन्ध निदेशक

बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

कृपया पृष्ठ पलटें P T O

ज्ञापांक–../पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक–../पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– M/s Brijesh Agrawal- PPIL (JV), Nirmala Sadan, Near Gayatri Mandir, Main Road, Vinod Nagar, Bilaspur, Chhatisgarh-495001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक–........3240........../पटना, दिनांक–....18/10/2025....

प्रतिलिपिः–बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

17.10.25
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।
17.10.2025